न्यायालय विशेष न्यायाधीश (SC/ST (PoA) Act)/गैंगेस्टर एक्ट, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मनोज कुमार तिवारी–I एच०जे०एस०

UPSD010039352025

Sessions Case/722/2025

राज्य

————————————अभियोजक

बनाम

प्रमोद कुमार पुत्र गोवर्धन प्रसाद निवासी वार्ड नं०–01 नगर पंचायत शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

——————————अभियुक्त

मु०अ०सं०–02/2023
धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986
थाना– शोहरतगढ़, जनपद– सिद्धार्थनगर।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र गोवर्धन प्रसाद निवासी वार्ड नं०–01 नगर पंचायत शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के विरूद्ध धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के तहत आरोपपत्र दिनांकित 17.08.2023 को न्यायालय में प्रेषित किये जाने तथा न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् विचारण हेतु पेश हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियुक्त प्रमोद कुमार का सह–अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद के साथ एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद है तथा अभियुक्त गैंग का सदस्य है, जो अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गिरोह के अकेले या सदस्यों के साथ मिलकर चोरी एवं अन्य आपराधिक कृत्य कारित करते हैं, जो भा०दं०वि० 1960 के अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय है तथा उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा 01 से आच्छादित है, जो 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय है। दिनांक 20/21–03–2022 की रात्रि में अब्दुल कबीर, अब्दुल कादिर नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ जनपद सि०नगर व श्रीराम अचल तिवारी S/O स्व.रामकोमल त्रिपाठी निवासी नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ जनपद सि०नगर के मकान के सामने खड़े पीकप से जुते व मकान के पीछे वाउंड्री के अन्दर एक हार्स पावर का मोटर व पाइप की चोरी के सम्बन्ध मे अब्दुल कबीर के तहरीर पर दिनांक 21.03.2022 को थाना शोहरतगढ जनपद सि० नगर पर मु0 अ0 सं0 54/2022 धारा 457,380 भादवि० बनाम अज्ञात

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.12 16:31:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पंजीकृत हुआ विवेचना से अभियुक्तगण का नाम 1. वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. भारत निवासी नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर 2. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. गोवर्धन प्रसौद निवासी वार्डनं 01, नगर पंचायत शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़ जनपद सि०नगर की घटना में संलिप्तता पाये जाने पर नाम प्रकाश में लाते हुए धारा 411 भादवि० बढोतरी कर विवेचनोपरान्त प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान धारा 457,380,411 भादवि0 मे जरिए आरोप पत्र ए–1/02.04.2022 को किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा गैग चार्ट अनुमोदित किया जा चुका है। उक्त तहरीर के साथ जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट भी संलग्नन किया गया।

3. उपरोक्त तहरीर के आधार पर वीरेन्द्र प्रसाद आदि 02 नफर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के तहत मु०अ०सं०–02/2023 पंजीकृत कर चिक एफआईआर कम्प्यूटर पर दर्ज की गयी तथा अभियोग कायमी थाने की जीडी संख्या 43 दिनांक 01.01.2023 समय 16.31 बजे दर्ज की गयी।

4. विवेचना प्र०नि० थाना ढेबरुआ श्री छत्रपाल सिंह निरीक्षक को सौंपी गयी। जिनके द्वारा विवेचना किये जाने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत आरोप सही पाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से दिनांक 16–08–2023 को प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के तहत आरोपपत्र प्रेषित किया गया जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर अभियुक्त प्रमोद कुमार की पत्रावली को अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद की पत्रावली से पृथक किया गया।

6. अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरूद्ध दिनांक 01.01.2026 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

7. दौरान विचारण अभियुक्त द्वारा जरिये जेल अधीक्षक सिद्धार्थनगर दिनांक 24.02.2026 को जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रेषित किया गया कि *"प्रार्थी/विचाराधीन बंदी प्रमोद कुमार पुत्र गोवर्धन प्रसाद निवासी वार्ड नं०–01 नगर पंचायत शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर, उपरोक्त केस में दिनांक 27.03.2023 से जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरुद्ध है। प्रार्थी गरीब है तथा केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त केस में अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है एवं केस का निस्तारण कराना चाहता है। प्रार्थी पर अन्य वाद लम्बित है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के उपरोक्त केस को निस्तारित किये जाने की कृपा की जाय।"*

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० आज दिनांक 10.03.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने जुर्म को स्वीकार किया है तथा कम–से–कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की है।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

10. अभियोजन पक्ष का कथन है कि अभियुक्त प्रमोद कुमार का सह–अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद के साथ एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद है तथा अभियुक्त गैंग का सदस्य है, जो अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गिरोह के अकेले या सदस्यों के साथ मिलकर चोरी एवं अन्य आपराधिक कृत्य कारित करते हैं, जो भा०दं०वि० 1960 के अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय है तथा उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा 01 से आच्छादित है, जो 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय है। अतः अभियुक्त प्रमोद कुमार को अधिक–से–अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं।

11. अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त कानून को मानने वाला साधारण व्यक्ति है जो किसी प्रकार अपना जीविको पार्जन करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी गरीब असहाय व घर का तनहा व्यक्ति है। अभियुक्त दिनांक 27.03.2023 से आज तक जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड दिया जाये।

12. अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर ही अभियुक्त की ओर से जरिये जेल अधीक्षक स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थनापत्र दिया गया है, जिसमें उसने कथन किया है कि प्रार्थी उपरोक्त केस में स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है एवं केस का निस्तारण कराना चाहता है। **न्यायालय द्वारा अभियुक्त को समझाया गया कि जुर्म स्वीकार करने पर उसे उपरोक्त आरोपित धाराओं में दण्डित किया जा सकता है तो अभियुक्त ने कहा कि उसने यह जानते हुये कि, उसे जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डित किया जा सकता है, जुर्म स्वीकार कर रहा है।**

13. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरूद्ध धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्त दिनांक 27.03.2023 से आज तक जिला कारागार में निरूद्ध है।

14. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा– 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के आरोप में दोषसिद्व किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

15. प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार को अन्तर्गत धारा– 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के आरोप में दोषसिद्व किया जाता है।

16. अभियुक्त जिला कारागार से न्यायालय उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनॉकः–12–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
विशेष न्यायाधीश SC/ST (PA) Act,
गैंगेस्टर एक्ट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736

<u>**दिनॉकः—12—03—2026**</u>

17. पत्रावली लंच बाद पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना।

18. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया है कि यद्यपि दोषसिद्ध द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है, लेकिन उसके द्वारा कारित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए।

19. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध बहुत गरीब एवं असहाय व्यक्ति है तथा केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वह दिनॉंक 27.03.2023 से लगातार जेल में निरूद्ध है। उसके पास अपनी जमानत कराने का भी कोई साधन नहीं है। अतः उसके साथ नरमी बरतते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

20. उभयपक्षो के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दोषसिद्ध की आर्थिक व सामाजिक स्थिति तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध को निम्नवत दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

21. दोषसिद्ध प्रमोद कुमार को धारा— 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के अपराध हेतु 02 वर्ष, 11 महीना, 15 दिन के कारावास व मु०— 5000/— (पाँच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना न अदा करने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

22. दोषसिद्ध द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

23. दोषसिद्ध का सजायाबी वारण्टी बनाकर अविलम्ब जिला कारागार सिद्धार्थनगर को अनुपालन हेतु भेजा जाये।

24. निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनॉकः—12—03—2026

(मनोज कुमार तिवारी—।)
विशेष न्यायाधीश SC/ST (PA) Act,
गैंगेस्टर एक्ट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736

25. आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनॉकः—12—03—2026

(मनोज कुमार तिवारी—।)
विशेष न्यायाधीश SC/ST (PA) Act,
गैंगेस्टर एक्ट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736